

फर्द अहकाम  
( नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर  
जिला हनुमानगढ

काशीराम

बनाम

प्रभुराम

किस्म मुकदमा , 88 ,188, आर.टी.एक्ट.

नम्बर 674

सन-2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारीख
20.07.2022	वादी की और से वाद पत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया गया जिस पर सिगेदार की रिपोर्ट हो चुकी है वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 27.09.2022 पेश हो	
	<p>पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब ..... पत्रावली दि. 28/11/22 को पेश हो</p>	
28 <sup>11</sup> / <sub>22</sub>	<p>पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब ..... पत्रावली दि. 28/11/22 को पेश हो</p>	
26 <sup>12</sup> / <sub>22</sub>	<p>फकीर नजी उपरीनत । प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन पेश की गये । आगामी पेशी पर आवश्यक तौर से पेश हो । पत्रावली गान्त तलबी दिनांक 15/3/2023 की पेश हो</p>	
15 <sup>2</sup> / <sub>23</sub>	<p>पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब ..... पत्रावली दि. 15/2/23 को पेश हो</p>	
	<p>पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब ..... पत्रावली दि. 16/6/22 को पेश हो</p>	
16 <sup>6</sup> / <sub>23</sub>	<p>पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष 2023 के लिये .. पेश हुई .. पत्रावली दिनांक .. 6/9/23 को पेश हो</p>	



21/8/2023 पत्रावली शर्मा पत्र वाडी जारी करील मप्र शासनको  
उत्तर करने पर वेरी में ली गई। शर्मा पत्र में  
निवेदन किया कि उक्त डावा में वाडी हस्त  
आदेश 23 नियम 01(3) संदर्भ धारा 15/ CPC  
उत्तर कर रहा है। उक्त पत्रावली आज ही  
तारीख वेरी में ली जाकर शर्मा पत्र स्वीकार  
कर नये डावा की अनुमति के साथ उक्त  
डावा व शर्मा पत्र अस्माही निवेदना शर्मा  
पत्रावली में।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया।  
पत्रावली प्रतिवादीगण की तलबी में खैरकार  
है जिसमें आगामी तारीख वेरी 6/9/2023  
मुकरर है। अतः न्याय दित में वाडी का  
शर्मा पत्र स्वीकार किया जाता है।

अनुवानी बाद कारीरम के नाम प्रमाण  
प्र. सं. 674/2022 नये डावा की अनुमति  
के साथ इसी स्टेज पर withdraw किया  
जाता है। पत्रावली नम्बर के कम होकर  
बाद तत्काल जारी कर दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
मोहर (हनुमानगढ़)